HUMAN RIGHTS WATCH

इस खामोशी को तोड़ना होगा

भारत में बाल यौन उत्पीड़न

HUMAN RIGHTS WATCH

इस खामोशी को तोड़ना होगा

भारत में बाल यौन उत्पीड़न

कॉपीराइट © 2013 ह्यूमन राइट्स वॉच
सर्वाधिकार सुरक्षित
संयुक्त राज्य अमरीका में प्रकाशित
आवरण का डिज़ायन राफ़ैल जिमेनेज़ ने तैयार किया

ह्यूमन राइट्स वॉच विश्व भर में लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम भेदभाव रोकने, राजनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने, युद्ध के समय लोगों को अमानवीय स्थिति से बचाने और अपराधियों को न्याय के कठघरे तक पहुँचाने के लिए पीड़ितों और कार्यकर्ताओं का साथ देते हैं। हम मानवाधिकार हनन के मामलों की जाँच करके उन्हें उजागर करते हैं और इसका दुरुपयोग करने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित कराते हैं। हम सरकारों और उन सभी को जो सत्ता में हैं, चुनौती देते हैं कि उत्पीड़न की कार्रवाइयों पर रोक लगाएँ और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का सम्मान करें। हम सार्वजनिक एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को सहयोग देते हैं कि वे सबके लिए मानवाधिकार सुनिश्चित करा सकें।

ह्यूमन राइट्स वॉच एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके 40 से अधिक देशों में कर्मचारी हैं। उसके कार्यालय ऐम्सटर्डम, बेरुत, बर्लिन, ब्रसेल्स, शिकागो, जिनेवा, गोमा, जोहानसबर्ग, लंदन, लॉस एंजेलेस, मॉस्को, नैरोबी, न्यूयॉर्क, पैरिस, सैन फ़्रांसिस्को, टोकियो, टोरोंटो, ट्यूनिस, वॉशिंगटन डीसी तथा ज़ूरिख में स्थित हैं।

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइटः http://www.hrw.org पर आएँ।

HUMAN RIGHTS WATCH

इस खामोशी को तोड़ना होगा

भारत में बाल यौन उत्पीड़न

सारांश 1

मुख्य सिफ़ारिशें 11

सिफ़ारिशें 14

सारांश

नई दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 को एक छात्रा के बलात्कार और हत्या और उसके बाद विशाल जन आंदोलन ने भारत में यौन हिंसा की समस्या के गहन विश्लेषण को प्रेरित करने का काम किया है। राजनीतिज्ञों, वकीलों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा नए कानून, नीतियों में सुधार और सार्वजनिक शिक्षा के लिए नए प्रस्ताव रखे गए हैं। सरकार ने कार्रवाई का वायदा किया है। यदि और कुछ नहीं भी होता तो इस नए मामले ने, अनेक भारतीयों को अपने देश में हो रही यौन हिंसा के स्तर और उसके प्रचलन के प्रति जागरूक किया है।

जबकि भारत में महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा के प्रति बड़े पैमाने पर जागरूकता आई है, लेकिन बच्चों के यौन-उत्पीड़न के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि प्रतिवर्ष 7,200 बच्चों के साथ बलात्कार होता है; जिनमें शिशु भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मामले इससे भी अधिक होते हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं की जाती। नई दिल्ली में बलात्कार के बाद महिलाओं के प्रति हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र बालकोष (यूनिसेफ़) की भारत में प्रतिनिधि, लुई जॉर्जेस आर्सेनॉल्ट ने कहा कि "इनमें से अनेक मामले बच्चों से संबद्ध हैं।"

उत्तरी राज्य हरियाणा के रोहतक में अनाथ और अन्य निराश्रित बच्चों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने वाले अनाथालय, अपना घर, का ही मामला देखें तो वहाँ परिस्थिति इतनी भयावह थी कि 7 मई, 2012 को तड़के सुबह वहाँ रहने वाली तीन किशोरियाँ मुख्य दरवाज़े से चुपचाप बाहर निकल गईं जिसके लिए उनमें से एक लड़की ने चाबी चुराई और वहाँ के निदेशक के बटुए से पाँच सौ रुपये निकाले। उन्हें वहाँ से भाग कर दिल्ली आने के लिए इसी की आवश्यकता थी। उन लड़कियों ने वहाँ रह गई अन्य सहेलियों को वचन दिया कि वे सहायता लेकर वापस लौटेंगी।

वह सहायता दो दिन बाद पहुँची जब राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर) के सदस्य लड़कियों के उत्पीड़न के आरोपों की जाँच करने अनाथालय पहुँचे। दल की प्रमुख ने वहाँ जो दृश्य देखा उसका बाद में वर्णन करते हुए उन्होंने उसे "पागलपन भरा और अविश्वसनीय" बताया। हर आयु-वर्ग की लड़की ने उन्हें बताया कि उन्हें पैसा लेकर अपरिचित लोगों के साथ सेक्स करने को बाध्य किया गया, निदेशक के दामाद ने उनका यौन उत्पीड़न किया, उन्हें पूरी

तरह निर्वस्त्र किया गया और उनकी योनि पर प्रहार किए गए। कुछ अन्य ने कहा कि वहाँ के कर्मचारियों ने उन्हें दंड के तौर पर बांध कर छत के पंखे से लटकाया। "उन्होंने हमसे इतने घृणित कार्य कराए," एक ने कहा, "कि मैं बाद में इतनी गंदगी का अनुभव कर रही थी कि जब मैंने पानी पिया तो उसका स्वाद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह दूषित हो।"

इस उत्पीड़न में सबसे स्तब्ध कर देने वाली बात यह है कि यह सब एक सम्माननीय संस्था में हुआ जिसका सरकारी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता था। उसकी निदेशक, जसवंती देवी को हाल ही में हरियाणा की शीर्ष "वर्ष की आदर्श महिला" सम्मान के लिए नामित किया गया है। उनकी चैरिटी 12 सरकारी सहायता प्राप्त कल्याण परियोजनाएँ चलाती है। एनसीपीसीआर के विनोद टिक्कू के अनुसार, संस्था में उत्पीड़न ने बहुत बड़ा भंडाफोड़ किया है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स वॉच से कहा, "यह उपेक्षा नहीं है, यह व्यवस्था की विफलता है।"

जैसा कि हाल के अध्ययन से पता चलता है, ऐसा नहीं है कि भारतीय बच्चे केवल संस्थानों के भीतर ही यौन उत्पीड़न का शिकार होते हैं। वर्ष 2007 में 13 विभिन्न राज्यों में 12,500 बच्चों के साथ साक्षात्कार पर आधारित भारत सरकार द्वारा प्रायोजित सर्वेक्षण में गंभीर और व्यापक यौन उत्पीड़न की रिपोर्टें दी गईं, और इस प्रकार सरकार को इस समस्या की गहराई से अवगत कराया गया। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा छोटे पैमाने पर आयोजित सर्वेक्षणों में भी पीड़ादायक चित्र उभर कर सामने आया है। बच्चों का घरों पर संबंधियों द्वारा, उनके पड़ोस में, स्कूलों में, अनाथों और जोखिम वाले अन्य बच्चों के लिए बने आवासीय परिसरों में यौन उत्पीड़न होता है। इनमें से अनेक मामलों की रिपोर्ट ही नहीं की जाती है। कई के साथ, दूसरी बार फिर दुर्व्यवहार होता है जब आपराधिक न्याय व्यवस्था या तो उनकी व्यथा सुनना ही नहीं चाहती, या उस पर विश्वास नहीं करना चाहती, या फिर अपराधियों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई ही नहीं करना चाहती।

इस रिपोर्ट का प्रयास भारत में इस समस्या की व्यापकता का आकलन करना नहीं है। वह हाल ही में सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पहले ही सिद्ध हो चुकी है, हालाँकि इस बारे में और शोध किए जाने की आवश्यकता है। इसके बजाय, इस रिपोर्ट में यह जानने के लिए विभिन्न मामलों का अध्ययन किया गया है कि सरकार इस उत्पीड़न को रोकने के लिए क्या कर रही है, जब उसके पास ऐसे उत्पीड़न के आरोपों की शिकायतें आती हैं तो वह उनसे कैसे निबटती

है और वह उन पीड़ितों के साथ कैसा व्यवहार करती है जो इस यंत्रणा से गुज़र चुके हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने सौ से अधिक सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों, पुलिस अधिकारियों, वकीलों, गैर-सरकारी संगठनों के सदस्यों और बच्चों से बातचीत की। हमने बाल यौन उत्पीड़न का शिकार हुए आठ पीड़ितों और ऐसे नौ अन्य पीड़ितों के संबंधियों से सीधी बातचीत की। हमने न्यायालयों के और अन्य दस्तावेज़ों का निरीक्षण किया। भारतीय कानून के अनुरूप हमने किसी भी पीड़ित और उनके संबंधियों के नाम परिवर्तित किए या उन्हें उजागर नहीं किया।

भारत में राजनीतिक नेताओं, नौकरशाहों, पुलिस और जजों सहित अधिकारियों के बड़े वर्ग ने बच्चों के यौन उत्पीड़न की सार्वजनिक रूप से भर्त्सना की है। लेकिन फिर भी, जागरूकता की कमी, सामाजिक कलंक और लापरवाही ने इस अपराध के लगातार जारी रहने में सहायता की है।

अपने शोध के दौरान हमने पाया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के बावजूद, भारत सरकार प्रभावी निगरानी प्रणाली विकसित करने में विफल रही है जो बच्चों का यौन उत्पीड़न होने से रोक सके। इसके अतिरिक्त, वर्तमान बाल सुरक्षा नीतियाँ और अनेक पुलिस विभाग, न्यायालय, स्थानीय सरकारी प्रशासन, बाल संस्थागत देखभाल प्रतिष्ठान, स्कूल तथा डॉक्टर यौन उत्पीड़न की जानकारी मिलने के बाद पीड़ितों की सहायता करने अथवा यह सुनिश्चित किए जाने के लिए पर्याप्त काम नहीं कर रहे कि अपराधियों को दंड मिले।

जनवरी में, सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने पाया कि सरकार की बाल सुरक्षा नीतियाँ "अपने उस लक्ष्य को पूरा करने में विफल रही हैं जिसका उन्होंने बीड़ा उठाया था।" दिल्ली यौन आक्रमण के बाद दिसंबर 2012 में न्यायमूर्ति जे।एस। वर्मा की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने यौन आक्रमण रोकने के लिए कई सिफ़ारिशें कीं और आवासीय देखरेख प्रतिष्ठानों में बच्चों की दुर्दशा पर विशेष रूप से चिंता व्यक्त की।

यह काम सुनिश्चित करने के लिए, आम तौर पर अभी भी छिपी हुई इन समस्याओं के प्रभावशाली निदान में कई अड़चनें आड़े आ रही हैं। सामाजिक कलंक का भय अथवा सरकारी संस्थानों में भरोसे की कमी अनेक लोगों को यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने से रोकती हैं। 2007 में किए गए एक सरकारी सर्वेक्षण में पता चला कि यौन उत्पीड़न का शिकार हुए बच्चों में से केवल 25 प्रतिशत ने ही

यह बात किसी को बताई, और केवल 3 प्रतिशत मामलों में ही पुलिस को सूचित किया गया। अन्य कई देशों की भांति, गहरी जड़ जमाए सांस्कृतिक नियम सेक्स के बारे में खुली बातचीत करने से रोकते हैं और बच्चे के लिए अपने से बड़े किसी रिश्तेदार अथवा रसूख वाले किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत करना कठिन हो जाता है। सरकारी सर्वेक्षण के परिचय में लिखते हुए तत्कालीन महिला और बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने कहा कि भारत में बाल यौन उत्पीड़न "पर गोपनीयता का पर्दा पड़ा रहता है और इस संपूर्ण विषय पर चुप्पी साधने का षड्यंत्र जारी है।"

बाल यौन उत्पीड़न का सामना करना विश्व भर में चुनौती है। किंतु भारत में, सरकार और समुदाय दोनों स्तरों पर प्रतिक्रिया की कमियाँ इस समस्या को और बढ़ा देती हैं। जो पीड़ित शिकायत करने के लिए सामने आते हैं, वे इसके परिणामस्वरूप कष्ट उठाते हैं। उदाहरणस्वरूप, अहमद ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि उनकी 12 वर्षीया बेटी ने जब यह बताया कि उसका बलात्कार हुआ है तो उनके परिवार को बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उसका कहना था कि यह उत्तरी नगर वाराणसी में तब हुआ जब दोपहर वह पैदल अपने घर जा रही थी और तीन व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया था। अहमद ने कहा कि उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचित करने का फैसला किया क्योंकि कई स्कूली छात्राएँ उसी मार्ग से होकर जाती थीं और उन्हें उनकी सुरक्षा की चिंता थी। किंतु अपने पड़ोसियों का आभार मिलने के स्थान पर उन्हें और उनकी बेटी को उनके परित्याग का सामना करना पड़ा क्योंकि वह बलात्कार पीड़ित थी। उनकी बड़ी बेटी के मंगेतर के माता-पिता ने सगाई तोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कि इस घटना का सार्वजनिक होना उनके परिवार के लिए लज्जा की बात है। पुलिस ने उन्हें शिकायत लिखाने से हतोत्साहित किया और शायद कोई कार्रवाई करने से बचने के लिए, परिवार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अहमद ने ह्यूमन राइट्स वॉच से कहाः

मेरी बेटी लगातार कह रही थी कि उसका बलात्कार हुआ है किंतु पुलिस ने हमसे कहा कि हम यह बात किसी से न कहें। उन्होंने हमसे मामला निपटाने को कहा। जब मैंने इनकार किया तो पुलिस ने मुझे पकड़ कर कई चांटे मारे। तीन-चार लोगों ने मेरे साथ यह किया जिनमें स्टेशन ऑफ़िसर भी शामिल था। उन्होंने मेरे बेटे को भी पीटा।

सामाजिक कलंक के भय के परिणामस्वरूप परिवारों द्वारा बच्चों के साथ हुए अत्यंत भयावह दुर्व्यवहार को भी छिपाने का प्रयास किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के एक गाँव में एक माँ उस

समय कमरे में दाखिल हुई जब उसकी दो वर्ष की बेटी का 17 वर्षीय रिश्ते के भाई द्वारा यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। बच्ची के माता पिता पुलिस में मामला दर्ज कराना चाहते थे पर उनके विस्तारित परिवार, और पुलिस ने भी, उन पर मामला निजी तौर पर ही सुलझा लेने का ज़ोर डाला। अपराधी को गिरफ़्तार करने के बजाय उससे कहा गया कि वह गाँव छोड़ कर चला जाए। एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता आनंद प्रकाश ने कहा, "हम जानते हैं कि बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है पर लोग इस बारे में बात नहीं करते।" उन्होंने कहा, "यह सब परिवार के मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। यदि यह बात बाहर आ गई तो परिवार का सम्मान जाता रहेगा।"

हाल के वर्षों में महिला और बाल अधिकारों के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं, पीड़ितों को परामर्श देने वाले और जागरूकता उत्पन्न कराने वाले छोटे पर निरंतर बढ़ते गैर-सरकारी संगठनों और इस विषय में आगे बढ़कर काम करने वाले केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रयासों की बदौलत यह "चुप्पी का षड्यंत्र" अब टूटने लगा है।

आपराधिक न्याय व्यवस्था, जिस क्षण से पुलिस को शिकायत मिलती है और जब तक मुकदमा समाप्त होता है, उसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। इस व्यवस्था में जैसे मामले से निपटा जाता है उस तरीके में भिन्नता बड़ी समस्या है। अनेक पीड़ितों और उनके परिवारों को यह संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत डरावनी लगती है। उदाहरणतः निचली जाति के ग्रामीण परिवार की नेहा ने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि जब वह 16 वर्ष की थी तो उसका बलात्कार हुआ था। अगले दिन उसने सम्मानजनक दिखने के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और थाने गई। किंतु ड्यूटी पर जो अधिकारी था उसने इस बारे में अभद्र टिप्पणियाँ कीं कि वह कितनी अच्छी लग रही थी, इस ओर संकेत किया कि उसने अपनी मर्ज़ी से यौन संबंध बनाए थे और उससे चले जाने को कहा। "ड्यूटी पर जो आदमी था उसने मुझसे कहा कि मैं अपना मुँह बंद करूँ और घर चली जाऊँ," नेहा ने कहा, "मुझे इतना क्रोध आया कि मैं उसे पीट देना चाहती थी। वह मुझ पर संदेह क्यों कर रहा था?" उत्तर प्रदेश की कृष्णा का कहना है कि जब वह 12 वर्ष की थी तो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवार के सदस्य ने उसका बलात्कार किया। उसने कहा कि जब उसने पुलिस से शिकायत की तो उसे अगले 12 दिन तक थाने में हिरासत में रखा गया:

वे (पुलिस) इस बात पर जोर देते रहे कि मैं अपना बयान बदल दूँ वरना, उन्होंने धमकी दी कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। वे मेरा अपमान भी करते थे और मुझे अपशब्द कहते थे। मेरे माता-पिता मुझसे मिलने का प्रयास करते रहे किंतु उन्होंने उन लोगों को मुझसे बात करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे माता-पिता मुझे सच बोलने को कहेंगे।

पीड़ित लोग बलात्कार के प्रमाण के लिए उनकी जाँच करने वाले डॉक्टरों का उनसे असंवेदनशील तरीके से व्यवहार करने की भी शिकायत करते हैं। कृष्णा जैसी अनेक लड़कियाँ इसे परेशान करने वाला अनुभव बताती हैं। उसने कहा,

(डॉक्टर ने) मुझसे मेज़ पर लेट जाने को कहा और उसने मेरे कपड़े उतार दिए। उसने जब मेरी जाँच की तो अपनी एक उंगली मेरे भीतर घुसाई। मुझे दर्द हुआ और मैं डर गई। डॉक्टर मेरे साथ जो कर रही थी वह मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वह फिर कुछ ऐसा बोली, "अरे यह तो छोटा सा बलात्कार था। कोई बड़ी बात नहीं थी।"

तीन वर्षीया एक बालिका की माँ ने अपनी बेटी की चिकित्सीय जाँच के बारे में बताया जिसके बारे में उसे संदेह था कि उसके पति ने उसका बलात्कार किया है और गुदा मैथुन भी किया है। उसने इस जाँच को अत्यंत तकलीफ़देह और पीड़ाजनक बताया। जाँच बंगलूरू के एक सरकारी अस्पताल के खून के धब्बे वाले प्रसूति कक्ष में हुई न कि अलग कक्ष में जहाँ बच्ची को और मानसिक आघात न पहुँचता। डॉक्टर के आगमन की लंबी और चिंताजनक प्रतीक्षा के बाद, जाँच करने वाली डॉक्टर ने "उसके पैर पीछे की ओर खींचें और उसने चीख मारी।"

दक्षिणी नगर बंगलूरू में बाल यौन उत्पीड़न का शिकार बच्चों के साथ काम करने वाली स्त्री-रोग विशेषज्ञा, डॉक्टर शैभ्या सलदाना के अनुसार, अधिकतर डॉक्टरों के पास इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की प्रवीणता ही नहीं हैः

> दुर्भाग्यवश, किसी भी डॉक्टर, चाहे वह सामान्य चिकित्सक हो अथवा स्त्री-रोग विशेषज्ञ या बाल-रोग विशेषज्ञ, उसको बाल यौन उत्पीड़न मामलों में जाँच, साक्षात्कार, देखभाल कैसे की जाए, पुनर्वास की क्या प्रक्रियाएँ हैं, बच्चे की चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ आदि के लिए किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया है। उन्हें इसकी कोई समझ ही नहीं है।

इस प्रकार के व्यवहार के परिणामस्वरूप अनेक पीड़ित अपना मामला जारी न रखने का निर्णय लेते हैं। नई दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इकाई की अध्यक्षता कर रही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सुमन नालवा एक घबराई और हिचकिचाई हुई माँ को अपनी 11 वर्षीया बेटी के यौन उत्पीड़न के लिए अपने पति के विरुद्ध मामला दर्ज कराने में प्रेरित करने में विफल रहने का मामला याद करती हैं। नालवा ने ह्यूमन राइट्स वॉच से कहा,

> हमने उनसे कहा कि उनका नाम गोपनीय रहेगा और मुकदमा *बंद कमरे* में [सार्वजनिक रूप से नहीं] चलेगा और हम उन्हें चिकित्सीय जाँच के लिए अस्पताल ले गए। किंतु अस्पताल में उनका उपचार इतना दयनीय था कि उन्होंने कहा, "देखिए, आपने मुझसे कितने सारे वायदे किए थे और यह तो पहला कदम है।" वह बाहर निकल गई और फिर कभी लौट कर नहीं आई।

भारत में एक प्रमुख समस्या है आवासीय देखभाल प्रतिष्ठानों, अनाथालयों तथा अन्य बाल संस्थाओं की प्रभावशाली निगरानी का अभाव। 2012 की पहली छमाही में ही समाचारपत्र *टाइम्स ऑफ़ इंडिया* ने देश के विभिन्न भागों में आठ अलग-अलग आवासीय प्रतिष्ठानों में यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्टें दीं। उनमें से तीन, जिनमें, अपना घर, भी शामिल है और जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है, हरियाणा में हैं जबकि अन्य नई दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गोवा तथा उत्तर प्रदेश में हैं। कथित उत्पीड़क कर्मचारी, बड़े बच्चे और पुलिस अधिकारियों सहित बाहरी आगंतुक होते हैं।

किशोर अपराध न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) कानून, 2000 के अंतर्गत बच्चों के सभी आवासीय प्रतिष्ठानों को छह महीने के भीतर सरकारी तौर पर पंजीकृत होना होता है और बाल

कल्याण समितियों को आदेश दिए गए हैं कि वे उनकी जाँच करें। किंतु कानून में इसका पालन न करने वाले बच्चों की देखभाल वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। निगरानी तथा जाँच की सरकारी प्रणाली वैसे भी इतनी अव्यवस्थित है कि किसी को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारत में ऐसे कितने संस्थान हैं। वहाँ बच्चों के साथ कैसा बर्ताव होता है यह तो दूर की बात है।

एक प्रतिष्ठान में पहले कभी रह चुके एक बच्चे ने कहा कि वह जहाँ रहता था, "कोई अपना अनुभव बाहर किसी के साथ बांटने का साहस नहीं कर पाता था। वहाँ का वातावरण सामान्यतः आतंकित करने वाला, डरावना और दमनकारी था।" उसने ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि वार्डन और बड़े बच्चे दोनों छोटे लड़कों के यौन उत्पीड़न में संलग्न थे और भय का वातावरण किसी को भी प्रबंधकों को इस बात की जानकारी देने से रोकता था। अपनी 15 वर्ष की रिहाइश के दौरान उसे कभी नहीं लगा कि उस संस्थान की एक बार भी जाँच की गई हो। "कोई बच्चा वार्डन के खिलाफ़ शिकायत करने का साहस नहीं रखता था और वे बड़े लड़के भी आतंकित करने वाले थे," उसने कहा, "वहाँ धौंस वाला माहौल था और किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं थी।"

मई, 2012 में, भारत की संसद ने यौन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा का कानून पारित करके महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस कानून के अंतर्गत भारत में पहली बार सभी प्रकार के बाल यौन उत्पीड़न के मामले विशिष्ट अपराध माने जाते हैं। इस नए कानून से पूर्व विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न के मामलों पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए बने अलग-अलग कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाता था। यौन उत्पीड़न के विशिष्ट मामलों में उनके लागू होने न होने को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण मुकदमा दायर करने में बाधा आती थी। उदाहरणस्वरूप, यह स्पष्ट नहीं था कि किसी कानून में लड़कों के खिलाफ़ किए गए ऐसे यौन उत्पीड़न के मामले अपराध की श्रेणी में आते है या नहीं जहाँ लिंग का भीतर तक प्रवेश न हुआ हो। नए कानून में पुलिस और न्यायालयों के लिए भी पीड़ितों से संवेदनशीलता से व्यवहार करने के दिशानिर्देश हैं। कानून में विशिष्ट बाल अदालतों के गठन का भी प्रावधान है। आशा की जाती है कि साथ-साथ उठाए गए इन सब कदमों से पीड़ित और उनके परिवार और अधिक संख्या में सामने आएँगे तथा और अधिक मुकदमे सफलतापूर्वक चलाए जा सकेंगे।

ये सब स्वागत-योग्य उपक्रम हैं किंतु इनकी बदौलत परिवर्तन तभी आएगा जब इनका कार्यान्वयन हो। भारत में अनुभव से पता चलता है कि जबकि केंद्र सरकार अच्छे कानून और नीतियाँ बना सकती है, इनको अमल में लाया जाना प्रायः एक चुनौती होती है। पूर्व में बने एक कानून में पहले से ही "बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए शीघ्र मुकदमा" चलाए जाने हेतु अदालतें गठित करने का प्रावधान है। किंतु छह वर्ष बाद, केवल दिल्ली सरकार ने ही इसकी स्थापना की प्रक्रिया शुरू की है।

कार्यान्वयन की समस्याओं ने बच्चों की सुरक्षा के मामले में सुधार के अन्य प्रयासों को भी बाधित किया है। वर्ष 2009 में राष्ट्रव्यापी तौर पर शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना एकीकृत बाल सुरक्षा नीति (आईसीपीएस) का लक्ष्य वर्तमान बाल सुरक्षा उपायों को मज़बूत बनाना था और अन्य नए तंत्रों का निर्माण करना था, जैसे जिला स्तर के सामाजिक कार्यकर्ता। किंतु सरकार स्वीकार करती है कि नीति को आगे ले जाना काफ़ी धीमा रहा। अपने स्वयं के आंकड़ों के अनुसार, भारत के केवल 28 राज्यों ने वह धन व्यय किया जो केंद्र सरकार ने नीति के पहले तीन वर्ष में उन्हें आबंटित किया था।

अधिकतर राज्यों में, खतरे का सामना कर रहे बच्चों की देखरेख के लिए गठित महत्वपूर्ण इकाइयाँ, बाल कल्याण समितियों को उतनी धनराशि ही नहीं मिलती है जितनी उन्हें आवश्यकता है। वर्ष 2009 में जब से आईसीपीएस का गठन हुआ, ऐसी समितियों की संख्या में वृद्धि हुई, किंतु अब भी गंभीर कमियाँ हैं। हाल के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, भारत में 629 जिलों में आधे से भी कम ने किसी समिति का गठन किया है और जो समितियाँ हैं भी, उनके सदस्यों को भारत के किशोर अपराध न्याय अथवा बाल सुरक्षा व्यवस्था का प्रशिक्षण नहीं मिला। खराब प्रशिक्षण और पैसे का अभाव झेल रही बाल कल्याण समितियाँ अनाथालयों और अन्य आवासीय देखभाल संस्थानों की पर्याप्त निगरानी करने में विफल हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्य में सुधार आए क्योंकि, जैसा कि हाल के मामलों से प्रकट हुआ है, इन संस्थानों में व्यापक तौर पर यौन उत्पीड़न हो रहा है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग को बच्चों की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन की निगरानी का काम सौंपा गया है। ऐसा करने के लिए उसे पर्याप्त कर्मचारी तथा संसाधन मुहैया कराए जाने की आवश्यकता है।

अपने घरेलू कानूनों के अतिरिक्त, भारत अनेक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों में भागीदार है। इनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता तथा बाल अधिकार पर समझौता शामिल है जिसमें बच्चों के अधिकारों की विशिष्ट सुरक्षा का प्रावधान है। इनमें सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न पर रोक और दंड का आह्वान किया गया है और केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारों को दायित्व सौंपा गया है कि वे निजी नागरिकों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न को रोकने और दंडित करने के लिए उपाय करें।

ह्यूमन राइट्स वॉच भारत सरकार से ऐसी नीतियों को पारित और लागू करने का आह्वान करता है कि जो बच्चों के विरुद्ध यौन हिंसा के मामलों पर रोक लगाने और उनका निवारण करने का काम करें। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और विदेशी सरकारों को भारत सरकार के साथ मिल कर काम करना चाहिए ताकि वे प्रशिक्षण तथा सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के आदर्श प्रदान करने में सहायक हो सकें जिससे भारत के प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा दी जा सके।

मुख्य सिफ़ारिशें

भारत की केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के यौन उत्पीड़न के दोषियों को दंड मिले। सभी पीड़ितों को उनके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य लाभ तथा सामाजिक पुनर्वास के लिए पूरी सहायता दी जानी चाहिए।

केंद्र सरकार को चाहिएः

यह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के पास पर्याप्त संसाधन हों ताकि वह इस बात की निगरानी कर सके कि यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा कानून कितना प्रभावी है। इसमें नियुक्त किए गए सदस्य बाल सुरक्षा के विशेषज्ञ हों और उन्हें प्रभावी जाँच इकाइयों का समर्थन मिले। आयोग के पास जाँच की स्वतंत्र क्षमता हो।

- यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा कानून कितना प्रभावी है इसकी उपयुक्त अवधि के भीतर समीक्षा हो और इस कानून की कमियाँ दूर करने के लिए, जिनमें अभियुक्त के विरुद्ध अपराध बोध की धारणा शामिल है, महिला अधिकार, बाल अधिकार तथा नागरिक मुक्ति कार्यकर्ताओं से परामर्श करके इसमें संशोधन की मांग की जाए।

- वैधानिक प्रारूप में प्रमाण पर आधारित रवैया अपनाया जाए जिनमें 18वर्ष से कम आयु के किशोरों द्वारा आपसी सहमति से बनाए यौन संबंधों के वर्तमान प्रमाण भी शामिल हैं। यौन संबंधों के लिए आपसी सहमति की आयु घटाने के कार्यकर्ताओं के सुझावों पर विचार हो ताकि किशोरों की विकसित होती परिपक्वता और क्षमता को भी ध्यान में रखा जा सके यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून उस आबादी को-बच्चों को -दंडित न करे जिसे उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, यदि 18 वर्ष से कम आयु के किशोर अपने समकक्ष किसी के साथ आपसी सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो उन्हें आपराधिक रूप से दंडित न किया जाए।

- किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि बच्चों की देखभाल के आवासीय प्रतिष्ठानों को खुलने से पहले पंजीकृत किया जाए और यह सुनिश्चित हो कि वे निर्धारित मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं। पंजीकरण न कराने वालों पर जुर्माने का प्रावधान हो। यह

सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों के सभी आवासीय प्रतिष्ठानों की नियमित रूप से और समय-समय पर जाँच हो तथा आवासीय देखभाल प्रतिष्ठानों को नियम के दायरे में लाया जाए।

- एकीकृत बाल सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन प्राथमिकता हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य उन्हें प्रभावी बाल कल्याण समितियों के गठन के लिए आबंटित संसाधनों का उचित रूप से और तत्काल इस्तेमाल करें। बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों को भारतीय किशोर न्याय और बाल सुरक्षा व्यवस्था में प्रशिक्षण दिया जाए।

- बाल यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की जाँच और चिकित्सीय उपचार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों के अनुरूप मसविदा तैयार और कार्यान्वित किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि डॉक्टर तथा अन्य चिकित्सीय कर्मचारी यौन उत्पीड़न के मामलों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करें जिससे भीतरी जाँच कम से कम हो और वह निरंतर प्रजनन-संबंधी, यौन-संबंधी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुलभ बनाए। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में डॉक्टरों को इस मसविदे को अपनाने और इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण मिले।

जबकि भारत की केंद्र सरकार को उपयुक्त नीतियाँ विकसित करनी चाहिए, वे राज्य सरकारें हैं जिन पर इनके उचित कार्यान्वयन का दायित्व है।

कदम जो राज्य सरकारों को उठाने चाहिए:

- बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा कानून को कार्यान्वित करें तथा पुलिस, न्यायालय के कर्मचारियों, सरकारी और निजी सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल कल्याण समिति के सदस्यों तथा बच्चों के साथ काम करने वाले डॉक्टरों के प्रशिक्षण को वरीयता दें।

- यदि किसी राज्य में बाल अधिकारों के लिए आयोग मौजूद नहीं है तो वहाँ उसका गठन किया जाए । सभी राज्यों को पर्याप्त संसाधन देने चाहिए ताकि ऐसे आयोग अपने लिए निर्धारित कार्य कर सकें तथा प्रभावी और स्वतंत्र तौर पर संचालित हो सकें। इन आयोगों में पारदर्शी तरीके से योग्यता प्राप्त और स्वतंत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति हो।

- बाल कल्याण समितियों में काम करने के लिए योग्यता प्राप्त और स्वतंत्र व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए। मान्य संचालन प्रक्रिया अपनाई जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि समितियों के पास पर्याप्त संसाधन हैं ताकि उसके सदस्य अपनी जिम्मेदारियाँ निभा सकें, जिनमें उनको सौंपी गई बच्चों की देखरेख के आवासीय प्रतिष्ठानों की जाँच का कार्य शामिल है सुनिश्चित किया जाए कि जो बच्चे यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं उनके लिए दक्षतापूर्ण परामर्श सेवाएँ उपलब्ध हों।

- सभी आवासीय देखभाल प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण कराया जाए और यह जानकारी बाल कल्याण समितियों, राज्य बाल अधिकार आयोगों तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग को उपलब्ध कराई जाए। निगरानी की प्रक्रिया विकसित की जाए जिसमें सभी बच्चों से सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से बातचीत हो सके। सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों की सभी आवासीय संस्थाओं की नियमित रूप से, समय-समय पर जाँच हो।

- पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाए कि वह बाल यौन उत्पीड़न के मामलों से संवेदनशीलता से निबटे ताकि वह पीड़ित अथवा परिवार जनों से आक्रामक रूप से सवाल पूछ कर उन्हें फिर से परेशान न होने दें। इसमें कनिष्ठ स्तर के पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण भी शामिल है क्योंकि उन्हें ही थानों में सबसे अधिक लोगों से मिलना जुलना पड़ता है और सबसे पहले उनकी ही जवाबदेही होती है। ऐसी नीति बनाई जाए कि किसी भी परिस्थिति में पुलिस किसी शिकायतकर्ता को हतोत्साहित अथवा आतंकित न करे, और ऐसा करने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो।

- जैसा कि केंद्र सरकार की नीतियों में प्रावधान है, बाल उत्पीड़न के मामलों से निबटने के लिए "बाल अदालतें" स्थापित की जाएँ। ऐसे प्रबंध किए जाएँ जहाँ बच्चों को अभियुक्त से आमना सामना न करना पड़े, जबकि साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए प्रतिवादी गवाही को सुन सकें और अपने निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार के तहत अपने वकील को निर्देश दे सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे न्यायालय के वातावरण से परेशान न हों।

सिफ़ारिशें

यौन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा कानून लागू करके भारत सरकार ने देश के बच्चों के यौन शोषण के निरंतर जारी मामलों को स्वीकार करने और उनसे निबटने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। फिर भी, इसे प्रभावी बनाने के लिए सरकार को इस कानून तथा अन्य संबद्ध कानूनों और नीतियों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। अब तक केंद्र और राज्य सरकारें प्रमुख सुरक्षा उपाय लागू करने में विफल रही हैं। नीतियों के कार्यान्वयन में कमी के कारण बच्चे उत्पीड़न के खतरे का सामना कर रहे हैं।

केंद्र सरकार को ये कदम उठाने चाहिएः

कानूनी सुधार और नीति कार्यान्वयन के लिए

- सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के पास पर्याप्त संसाधन हों ताकि वह इस बात की निगरानी कर सके कि यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा कानून कितना प्रभावी है। इसमें नियुक्त किए गए सदस्य बाल सुरक्षा के विशेषज्ञ हों और उन्हें प्रभावी जाँच इकाइयों का समर्थन मिले। आयोग के पास जाँच की स्वतंत्र क्षमता हो।

- यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा कानून कितना प्रभावी है इसकी उपयुक्त अवधि के भीतर समीक्षा हो और इस कानून की कमियाँ दूर करने के लिए, जिनमें अभियुक्त के विरुद्ध अपराधबोध की धारणा शामिल है, महिला अधिकार, बाल अधिकार तथा नागरिक मुक्ति कार्यकर्ताओं से परामर्श करके इसमें संशोधन की मांग की जाए।

- वैधानिक प्रारूप में प्रमाण पर आधारित रवैया अपनाया जाए जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों द्वारा आपसी सहमति से बनाए यौन संबंधों के वर्तमान प्रमाण भी शामिल हैं। यौन संबंधों के लिए आपसी सहमति की आयु घटाने के कार्यकर्ताओं के सुझावों पर विचार हो ताकि किशोरों की विकसित होती परिपक्वता और क्षमता को भी ध्यान में रखा जा सके। उनकी हर प्रकार की लिंग आधारित हिंसा से मुक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान हो जिनमें यौन आक्रमण, “सम्मान” के लिए की गई हत्याएँ, जबरन विवाह, हानिकारक पारंपरिक रिवाज,

तथा यौन शिक्षा प्राप्ति का उनका अधिकार, बिना भेदभाव के प्रजनन संबंधी और यौन स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुँच तथा किशोरों का अपनी लैंगिकता से जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से सामना करने में सहायता शामिल हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि कानून उस आबादी को - बच्चों को - दंडित न करे जिसे उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है; यदि 18 वर्ष से कम आयु के किशोर अपने समकक्ष किसी के साथ आपसी सहमति से यौन संबंध बनाते हैं तो उन्हें आपराधिक रूप से दंडित न किया जाए।

- बालरोग विशेषज्ञों तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञों के लिए बाल यौन उत्पीड़न के मामलों की पहचान करने और उनसे निबटने के लिए प्रशिक्षण में विस्तार और सुधार किया जाए। इसमें चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों के उपचार और जाँच के लिए अनिवार्य रूप से ऐसे मॉड्यूल तैयार किए जाएँ कि वे लिंग के अनुरूप बच्चों के साथ संवेदनशीलता बरत सकें। इसे वकीलों तथा महिलाओं, बच्चों और स्वास्थ्य अधिकार से जुड़े विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किया जाए।

- पुलिस, सरकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल कल्याण समिति के सदस्यों, बच्चों के साथ काम करने वाले डॉक्टरों, न्यायाधीशों तथा न्यायालय के अन्य कर्मचारियों को यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा कानून के उचित कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश और प्रशिक्षण विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाए।

- सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने स्वयं के आयोग गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उनके प्रयासों को समर्थन दिया जाए।

- किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया जाए ताकि बच्चों की देखभाल के आवासीय प्रतिष्ठानों को खुलने से पहले पंजीकृत किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे निर्धारित मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं। पंजीकरण न कराने वालों पर जुर्माने का प्रावधान हो।

- सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों की सभी आवासीय संस्थाओं का नियमित रूप से समय-समय पर निरीक्षण हो और आवासीय देखभाल प्रतिष्ठान नियम के दायरे में लाए जाएँ।

- बच्चों की सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था और तंत्र से संबद्ध लेखाजोखा कायम रखा जाए और उसका नवीनीकरण होता रहे। बाल यौन उत्पीड़न की व्यापकता की जानकारी के लिए विस्तृत राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया जाए और जागरूकता अभियान चलाया जाए जिसमें प्रशिक्षित और लाइसेंसधारी परामर्शदाताओं सहित प्रभावी सेवाओं का समावेश हो।

- एकीकृत बाल सुरक्षा नीति का कार्यान्वयन प्राथमिकता हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य, प्रभावी बाल कल्याण समितियों के गठन के लिए आबंटित संसाधनों का उचित रूप से और तत्काल इस्तेमाल करें। बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों को भारतीय किशोर न्याय और बाल सुरक्षा व्यवस्था में प्रशिक्षण दिया जाए। हितों के टकराव से बचने के लिए सरकारी अधिकारियों तथा बच्चों की देखरेख के आवासीय प्रतिष्ठानों को बाल कल्याण समितियों के सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया जाए।

- बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने, उत्पीड़न की पहचान, पीड़ितों से तुरंत बातचीत, उत्पीड़न का मामला प्रकट होने पर व्यवहार तथा आरोप सामने आने पर उचित कार्रवाई करने के लिए स्कूल प्रशासन और शिक्षा कर्मचारियों के लिए दिशानिर्देश विकसित और प्रचारित किए जाएँ।

- बच्चों को आयु के हिसाब से उचित जानकारी, निपुणता तथा आत्मसम्मान द्वारा अपनी स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने में सहायता देकर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु सरकार की शिक्षा के अधिकार की नीति के अंग के तौर पर पाठ्यक्रम की शुरुआत हो और उसे संस्थागत बनाया जाए।

- सड़क पर रहने वाले तथा बालश्रम में संलग्न बच्चों सहित खतरे का सामना कर रहे बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्रों का निर्माण हो। रोजगार में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समझौता संख्या 138 की अभिपुष्टि और कार्यान्वयन किया जाए। अनौपचारिक क्षेत्र में बच्चों पर विशिष्ट ध्यान दिया जाए। “सड़क के बच्चों” के लिए खुले आश्रय स्थल बनाए जाएँ और जो बच्चे उनके माता पिता को सौंप दिए गए हैं, उनके मामलों का अनुसरण करने के लिए व्यवस्था हो ताकि उनकी सड़क पर वापसी को हतोत्साहित किया जा सके।

- मानव तस्करी, विशेषकर सभी तरह की बाल तस्करी के मामलों के बारे में विस्तृत कानून बनाया जाए।

- परेशानी में पड़े बच्चों के लिए बनी हेल्पलाइन 1098 का विस्तार और प्रचार हो ताकि वह प्रत्येक जिले में संचालित हो सकें और टेलीफ़ोन ऑपरेटरों को बाल यौन उत्पीड़न के मामलों से निबटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए।

आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए:

- पुलिस सुधार को सर्वोच्च न्यायालय की सिफ़ारिश के अनुरूप कार्यान्वित किया जाए, जिसमें पुलिस द्वारा उत्पीड़न और ड्यूटी में लापरवाही से निबटने के लिए शिकायत के तंत्र की स्थापना भी शामिल है। प्रशिक्षण दिया जाए ताकि सुनिश्चित हो सके कि पुलिस मामले की जाँच करे और अपनी आक्रामक अथवा अपर्याप्त कार्रवाई से पीड़ितों और उनके परिवारों को फिर यंत्रणा न दे।

- बाल यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की जाँच और चिकित्सीय उपचार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रोटोकॉल तैयार और कार्यान्वित किया जाए। सुनिश्चित किया जाए कि डॉक्टर तथा अन्य चिकित्सीय कर्मचारी यौन उत्पीड़न के मामलों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करें जिससे भीतरी जाँच कम से कम हो और वे निरंतर प्रजनन-संबंधी, यौन-संबंधी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुलभ बनाए। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में डॉक्टरों को इस प्रोटोकॉल को अपनाने और इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण मिले।

- भारत में महिला, बाल तथा स्वास्थ्य अधिकार विशेषज्ञों के परामर्श से देश के प्रत्येक जिले के कम से कम एक सरकारी अस्पताल में बहु-विषयक केंद्र स्थापित हों। जहां ऐसा व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है वहाँ जनसंख्या और दूरी के अनुपात से किसी संस्थान में इसकी स्थापना की जाए। इसमें प्रशिक्षित कर्मचारी हों और वे एकीकृत, विस्तृत, लिंग के प्रति संवेदनशील तथा बच्चों के साथ अनुकूल उपचार, फ़ॉरेन्सिक जाँच, परामर्श तथा यौन उत्पीड़न का शिकार हुए बच्चों का पुनर्वास मुहैया कराने में सक्षम हों तथा विशेषज्ञ गवाहों का काम करें।
- बलात्कार पीड़ितों के मुआवज़े की राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन हो।

- मृत्युदंड बंद हो और इस बीच मौत की सज़ा को अंतरिम तौर पर स्थगित कर दिया जाए जिसमें बच्चों के उत्पीड़न के मामलों पर यह दंड भी शामिल है। ह्यूमन राइट्स वॉच सभी देशों में और

सभी परिस्थितियों में मृत्युदंड के विरुद्ध है क्योंकि मौत की सज़ा क्रूरता और अंतिम अवस्था की पराकाष्ठा है तथा यह अपरिहार्य और सार्वभौमिक रूप से निरंकुशता, पूर्वाग्रह और त्रुटि से भरपूर होता है।

जबकि भारत की केंद्र सरकार को उपयुक्त नीतियाँ विकसित करनी चाहिए, उन पर उचित कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों पर है।

कदम जो राज्य सरकारों को उठाने चाहिएः

कानूनी और नीति कार्यान्वयन के लिए

- बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा कानून को कार्यान्वित करें तथा पुलिस, न्यायालय के कर्मचारियों, सरकारी और निजी सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल कल्याण समिति के सदस्यों तथा बच्चों के साथ काम करने वाले डॉक्टरों के प्रशिक्षण को वरीयता दें।

- यदि राज्य में बाल अधिकारों के लिए आयोग मौजूद नहीं है तो उसका गठन किया जाए। सभी राज्यों को पर्याप्त संसाधन देने चाहिए ताकि ऐसे आयोग अपने लिए निर्धारित कार्य कर सकें तथा प्रभावी और स्वतंत्र तौर पर संचालित हो सकें। इन आयोगों में पारदर्शी तरीके से योग्यता प्राप्त और स्वतंत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति हो। सुनिश्चित किया जाए कि पुलिस और अन्य विभाग इन आयोगों द्वारा जारी निर्देशों का पर तुरंत प्रतिक्रिया करें।

- बाल कल्याण समितियों में काम करने के लिए योग्यता प्राप्त और स्वतंत्र व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए। मानक संचालन प्रक्रिया अपनाई जाए तथा सुनिश्चित किया जाए कि समितियों के पास पर्याप्त संसाधन हैं ताकि उसके सदस्य अपनी जिम्मेदारियाँ निभा सकें, जिनमें उनको सौंपी गई बच्चों की देखरेख के आवासीय प्रतिष्ठानों की जाँच का कार्य शामिल है। सुनिश्चित किया जाए कि जो बच्चे यौन उत्पीड़न का शिकार हुए हैं उनके लिए दक्षतापूर्ण परामर्श सेवाएँ उपलब्ध हों।

- सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों के साक्षात्कार के लिए कार्यालय सुरक्षित और उपयुक्त हों तथा समिति के संभावित सदस्यों का हितों का टकराव न हो। बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों को अपना काम संभालने से पूर्व जाँच करने और बच्चों का साक्षात्कार करने का प्रशिक्षण दिया जाए।

- सुनिश्चित किया जाए कि सभी आवासीय संस्थानों की नियमित रूप से समय-समय पर जाँच हो तथा वहाँ विनियम लागू हों जिसमें बच्चों और कर्मचारियों से स्वतंत्र और गोपनीय रूप से बातचीत का भी प्रावधान हो।

- सभी आवासीय देखभाल प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण कराया जाए और यह जानकारी बाल कल्याण समितियों, राज्य बाल अधिकार आयोगों तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग को उपलब्ध कराई जाए। निगरानी की प्रक्रिया विकसित की जाए जिसमें सभी बच्चों से सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से बातचीत हो सके। सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों की सभी आवासीय संस्थाओं की नियमित रूप से, समय-समय पर जाँच हो।

- बाल अधिकार आयोगों को ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जाए जिसमें आवासीय प्रतिष्ठानों में चौकीदार और सफ़ाई कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भली प्रकार जाँच हो। योजना में शामिल कर्मचारियों को बच्चों की सुरक्षा तथा सकारात्मक अनुशासन प्रदान करने की दिशा में उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए।

- देखभाल के गैर संस्थागत विकल्प तैयार किए जाएँ, जैसे किसी संबंधी की देखरेख, समुदाय-आधारित देखरेख अथवा खुले आश्रय स्थल। समुदाय-आधारित सुरक्षा तंत्र तथा वैकल्पिक देखरेख को सहायता दी जाए।

- जैसा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) नियम, 2007 में निर्देश दिया गया है, बच्चों का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए स्कूलों तथा अन्य शिक्षा संस्थानों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जाएँ।

- दिशानिर्देशों का पालन हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूल प्रशासक बच्चों का यौन उत्पीड़न न होने देने की अपनी जिम्मेदारियाँ समझते हैं और इसकी जानकारी मिलने पर उचित कार्रवाई करते हैं। बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने, उत्पीड़न की पहचान करने, संदिग्ध पीड़ितों से ठीक तरीके से बात करने तथा उत्पीड़न का पता चलने पर ऐसे मामलों से उचित तरीके से निबटने के लिए शिक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में सहायता दी जाए। प्रत्येक स्कूल में बच्चों का हेल्पलाइन नंबर 1098 प्रदर्शित हो। राज्यों को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इस हेल्पलाइन का विस्तार करके इसे प्रत्येक जिले में परेशानी में पड़े बच्चों तक पहुँचाया जा सके और अधिकारियों को निर्देश हों कि वे इसकी कार्रवाइयों में सहयोग दें।

- बच्चों की सभी आवासीय संस्थाओं से अपेक्षा हो कि वे बच्चों को उनकी आयु के हिसाब से उचित जानकारी दें, उन्हें उनके अधिकारों तथा शिकायत की प्रक्रिया से अवगत कराएँ। प्रत्येक संस्था में सलाहकारों का बोर्ड होना चाहिए और बच्चे जब चाहें उन तक पहुँच पाएँ। सभी संस्थानों से अपेक्षा हो कि वे बाल कल्याण समिति को प्रत्येक बच्चे की भरती के समय और उसके वहाँ से जाने के समय उसके बारे में जानकारी दें।

- भारत में महिला, बाल तथा स्वास्थ्य अधिकार विशेषज्ञों के परामर्श से देश के प्रत्येक जिले के कम से कम एक सरकारी अस्पताल में बहु-विषयक केंद्र स्थापित हों। जहां ऐसा व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है वहाँ जनसंख्या और दूरी के अनुपात से किसी संस्थान में इसकी स्थापना की जाए। इसमें प्रशिक्षित कर्मचारी हों और वे एकीकृत, विस्तृत, लिंग के प्रति संवेदनशील तथा बच्चों के साथ अनुकूल उपचार, फ़ॉरेन्सिक जाँच, परामर्श तथा यौन उत्पीड़न का शिकार हुए बच्चों का पुनर्वास मुहैया कराने में सक्षम हों।

आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए:

- पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाए कि वह बाल यौन उत्पीड़न के मामलों से संवेदनशीलता से निबटे ताकि वह पीड़ित अथवा परिवार जनों से आक्रामक रूप से सवाल पूछकर उन्हें फिर से परेशान न करे। इसमें कनिष्ठ स्तर के पुलिस-कर्मियों का प्रशिक्षण भी शामिल है क्योंकि उन्हें ही थानों में लोगों से सबसे अधिक मिलना-जुलना होता है और सबसे पहले उनकी ही जवाबदेही होती है।

- ऐसी नीति बनाई जाए कि किसी भी परिस्थिति में पुलिस किसी शिकायतकर्ता को हतोत्साहित अथवा आतंकित न करे, और ऐसा करने वाले के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो।

- बाल अधिकारों की सुरक्षा पर पुलिस अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम का विस्तार और सुधार हो जिसमें अधिकारियों को नए कानूनों तथा नीतियों से परिचित कराया जाए ताकि उनका सही ढंग से लागू होना सुनिश्चित किया जा सके। इसमें कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी शामिल है जो पुलिस थानों में लोगों से सबसे अधिक मिलते हैं या मामले को पहले उन्हें ही सुनना होता है।

- पुलिस में कनिष्ठ स्तर पर काम के बोझ या कर्मचारियों की कमी की समस्याओं से निबटा जाए जिसके कारण प्रायः शिकायत दर्ज करने में बेरुखी होती है। जाँच अधिकारियों (सब इंस्पेक्टरों) की संख्या बढ़ाई जाए, जैसा कि पुलिस सुधारों पर 2000 में पद्मनाभइया समिति की सिफ़ारिश थी।

- प्रकाश सिंह बनाम भारतीय संघ मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का कार्यान्वयन हो जिसमें पुलिस में जाँच तथा कानून व्यवस्था को अलग करने के लिए कहा गया था और जिसमें प्रशिक्षित अधिकारियों का महत्वपूर्ण अनुपात केवल जाँच के कार्य में लगाया जाए।

- प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण और उस तक पहुँच उपलब्ध कराई जाए जो जाँच में सहायता करे। निपुण प्रशिक्षकों को फ़ॉरेन्सिक विज्ञान की शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया जाए। जाँच अधिकारियों को संदिग्धों तथा गवाहों से साक्षात्कार और सवाल पूछने के लिए आधुनिक, बिना रोक-टोक वाली तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाए। राज्य और क्षेत्रीय फ़ॉरेन्सिक प्रयोगशालाओं को पर्याप्त संसाधन दिए जाएँ, इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाई जाने वाली फ़ॉरेन्सिक प्रयोगशालाएँ भी शामिल हैं ताकि वे गवाही के मूल्यांकन की रिपोर्टें पुलिस को बिना विलंब के उचित समय सीमा के भीतर लौटा सकें।

- पुलिस को प्रोत्साहित किया जाए कि वह यौन उत्पीड़न के मामलों की पहचान और उनके बारे में त्वरित कार्रवाई के लिए बाल कल्याण समितियों तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ निकटता से कार्य करें।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विकसित दिशानिर्देशों के अनुरूप यौन हिंसा के पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच के लिए उपयुक्त नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को सहायता दें। सुनिश्चित करें कि चिकित्सक तथा अन्य चिकित्सा कर्मचारी संवेदनशील तरीके से यौन उत्पीड़न के मामलों से निबटें ताकि भीतरी जाँच के मामले कम से कम हों तथा पीड़ित की प्रजनन संबंधी, यौन और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो। सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में डॉक्टरों को इस प्रोटोकॉल को अपनाने और इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

- उत्पीड़न की शिकायत करने वाले सभी बच्चों को तत्काल और निपुण परामर्श मुहैया कराया जाए। परामर्श उपलब्ध कराने वाले नागरिक समाज के समूहों को समर्थन दिया जाए और विस्तार में सहायता दी जाए। ग्राम परिषदों या पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे बाल यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों की सहायता करें।

- जैसा कि केंद्र सरकार की नीतियों में प्रावधान है, बाल उत्पीड़न के मामलों से निबटने के लिए “बाल अदालतें” स्थापित की जाएँ। ऐसे प्रबंध किए जाएँ जहाँ बच्चों को अभियुक्त से आमना-सामना न करना पड़े, जबकि साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए प्रतिवादी गवाही को सुन सकें और अपने निष्पक्ष मुकदमे के अधिकार के तहत अपने वकील को निर्देश दे सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चे न्यायालय के वातावरण से परेशान न हों।

अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं, जिनमें दानकर्ता तथा सहायता एजेंसियाँ शामिल हैं, को चाहिए कि:

- भारत सरकार को प्रेरित करें कि वह बच्चों की सुरक्षा के कानूनों को कार्यान्वित करने की अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का सम्मान करे।

- भारत की केंद्र तथा राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता दें ताकि बच्चों का यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम तथा एकीकृत बाल सुरक्षा नीति का प्रभावी तौर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

- बाल यौन उत्पीड़न के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले उपक्रमों को समर्थन दें और बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए नए दिशानिर्देश विकसित करने में भारत की सहायता करें।

- भारत सरकार को प्रेरित करें कि वह माता- पिता की देखरेख से वंचित बच्चों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें वैकल्पिक देखभाल प्रदान कराने के संयुक्त राष्ट्र के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करे।

- भारत सरकार को बाल यौन उत्पीड़न पर व्यापक सर्वेक्षण कराने तथा 2007 की रिपोर्ट के निष्कर्षों में नया जोड़ने और उसमें सुधार के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएँ। नए सर्वेक्षण में यह बात सही ढंग से सामने आनी चाहिए कि भारत में बाल यौन उत्पीड़न का स्तर क्या है। उसमें विस्तार से इस बात की भी जाँच होनी चाहिए कि बच्चे जब वयस्कों को अपने उत्पीड़न के विषय में बताते हैं तो क्या होता है, और आपराधिक न्याय व्यवस्था तथा बाल अधिकार आयोग और बाल कल्याण समितियों जैसे सुरक्षा तंत्र पीड़ितों के साथ कैसे पेश आते हैं।

- नागरिक समाज समूहो को जो कि बाल यौन उत्पीड़न से निबटने के लिए कार्यरत हैं, समर्थन दिया जाए और विस्तार में उनकी सहायता की जाए। यंत्रणा झेल चुके बच्चों को परामर्श देने के लिए बहुत कम संगठन हैं और वे भी मुख्य रूप से बड़े नगरों में स्थित हैं।

इस खामोशी को तोड़ना होगा

भारत में बाल यौन उत्पीड़न

भारत में बाल यौन उत्पीड़न गंभीर, व्यापक और आम तौर पर गोपनीय समस्या है। बच्चों का प्रायः उन लोगों द्वारा यौन शोषण होता है जिन्हें वे जानते हैं, संबंधी, पड़ोसी, शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मचारी, तथा अनाथों तथा प्रायः खतरे से जूझ रहे अन्य बच्चों के आवासीय देखरेख संस्थाओं के कर्मचारी। सामाजिक कलंक का भय अथवा सरकारी संस्थानों में भरोसे का अभाव अनेक लोगों को यौन उत्पीड़न की जानकारी तक देने से रोकता है।

भारत सरकार ने 2012 में यौन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा कानून पारित कर देश के बच्चों के व्यापक यौन उत्पीड़न को स्वीकार करने तथा उससे निबटने के प्रयास की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। फिर भी, इसे प्रभावी बनाने के लिए सरकार को इस कानून तथा अन्य संबद्ध कानूनों और नीतियों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। वर्तमान उपाय बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा, रोक, जाँच और निवारण उपलब्ध नहीं करा पा रहे। वास्तव में, बच्चों को पुलिस और आपराधिक न्याय व्यवस्था के हाथों दूसरी बार दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ता है जो उनकी बात या तो सुनना नहीं चाहते या उन पर विश्वास नहीं करते, अथवा उन्हें पीड़ादायक चिकित्सीय जाँच से गुज़रना पड़ता है।

इस खामोशी को तोड़ना होगा, बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने तथा उत्पीड़न होने के बाद उनके साथ व्यवहार, दोनों मामलों में वर्तमान सरकारी उपायों की कमियों की जाँच के लिए कई मामलों के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की प्रतिबद्धता के बावजूद, सरकारों को तत्काल कदम उठाने होंगे ताकि यौन उत्पीड़न सिद्ध हो जाने के बाद वर्तमान बाल सुरक्षा नीतियाँ, पुलिस, न्यायालय, स्थानीय सरकारी प्रशासन, बच्चों की देखरेख की आवासीय संस्थाएँ, स्कूल और डॉक्टर पीड़ित की सहायता करें और सुनिश्चित करें कि अपराधी को दंड मिले।

12 वर्षीय लड़की जिसका वाराणसी में कथित रूप से तीन व्यक्तियों ने बलात्कार किया। पुलिस ने उसके बयान पर विश्वास नहीं किया और उसके पिता को पीटा।

© 2012 ह्यूमन राइट्स वॉच।

hrw.org